



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला-दतिया R 3276-II/14

1. दीपक बुधोलिया नाबालिग पुत्र सुरेश बुधोलिया सरपरस्त माँ श्रीमती अंजना बुधोलिया पत्नी सुरेश बुधोलिया
2. सुरेश चन्द पुत्र रामनारायण, निवासीगण कुइयापुरा गाडीखाना, दतिया (म.प्र.)
3. हरिमोहन पुत्र श्री रामनारायण,
4. श्रीमती किशोरी देवी (मृतक) पत्नी स्व. रामनारायण, निवासीगण ग्राम जोनिया, तहसील इन्दरगढ, जिला दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती शशि पुत्री स्व. रामनारायण पत्नी रामसजीवन, निवासी उपाध्याना समथर, तहसील मोठ, जिला झाँसी (उ.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 191/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत एक आवेदनपत्र ग्राम जोनिया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक किता 4 रकवा 1.42 हैक्टेयर, के भूमिस्वामी रामनारायण के फौत होने पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की गयी थी। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2010-11/अ-6 पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन किया एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी। तत्पश्चात् प्रकरण उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर आवेदकगण के वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये गये।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी -3276 एवं 3277-एक/2014

जिला-दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-10-2015	<p>आवेदक की ओर से श्री के०के० द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री पी० के० तिवारी अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष अभिभाषकों को शीघ्र सुनवाई एवं प्रकरण समाप्त करने संबंधी आवेदन दिनांक-29.09.2015 पर दिनांक-30.09.2015 को सुना गया ।</p> <p>आवेदक अभिभाषक द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण को आगे नहीं चलाने के संबंध में शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदक द्वारा यह प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें आगामी पेशी दिनांक-29.10.15 नियत है । उक्त प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं । इस कारण इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया गया । अनावेदक अभिभाषक द्वारा भी इसे समाप्त करने पर कोई आपत्ति न करते हुए समाप्त करने हेतु अपनी सहमति न्यायालय के समक्ष व्यक्त की गयी ।</p> <p>उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक श्री के०के० द्विवेदी के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य

M